उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2007 के प्रथम सत्र में

श्री सुदर्शन अग्रवाल

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, मंगलवार, 13 मार्च, 2007 (फाल्गुन 22, शक सम्वत् 1928)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल का अभिभाषण

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय निर्वाचित विधान सभा के गठन पर मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह संतोष का विषय है कि सामान्य चुनावों का चुनौतीपूर्ण कार्य राज्य की जनता तथा सभी दलों के सहयोग एवं प्रशासन के प्रयासों से शान्तिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सका है। इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपना राज्य बनने के बाद, दूसरी बार, अपनी विधान सभा का चुनाव किया है। प्रदेश के समग्र विकास के लिये यह आवश्यक होगा कि दलगत राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र आदि, की भावनाओं से ऊपर उठकर सभी पूरे मनोयोग से इस लक्ष्य की ओर भविष्य में अग्रसर हों। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप हमारी परिकल्पनाओं के अनुरूप मेरी सरकार राज्य के समन्वित विकास एवं प्रादेशिक, प्राकृतिक, समुचित विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी जनता के प्रति समर्पित शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि, संस्कार आधारित स्वच्छ एवं भयमुक्त समाज की स्थापना, मातृशक्ति का सम्मान, राज्य के सभी क्षेत्रों का समुचित विकास एवं देवभूमि की संस्कृति की दिशा में कार्यवाही करेगी। एक कार्यकुशल, संवेदनशील शासन के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न कार्यक्रमों में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम सुनिश्चित किया जा सके। उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना संघर्ष में बलिदान देने वालों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए मेरी सरकार उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जनता के प्रति जबावदेही युक्त देवभूमि के संस्कारों एवं आदर्शों के अनुसार आदर्श राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होगी।

1. प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिये मेरी सरकार अधिकाधिक संसाधन जुटाने के साथ–साथ वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेगी और वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुमानित राजस्व घाटा रु0 155.71 करोड़ को वर्ष 2007–08 में समाप्त करने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा जो वित्तीय वर्ष 2006–07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.27 प्रतिशत अनुमानित था, उसे 2007–08 में घटाकर निर्धारित लक्ष्य 4.54 प्रतिशत से कम करते हुए मेरी सरकार–

- कुशल वित्तीय प्रबन्धन और संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य की ऋणग्रस्तता को नियंत्रित करने,
- राज्य में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने,
- अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाकर बजट घाटे को शून्य करने,
- राज्य की वित्तीय स्थिति एवं ऋणग्रस्तता पर श्वेत पत्र जारी करने पर भी विचार करने, तथा
- विशेष राज्य के दर्जे के तहत प्राप्त विकास योजनाओं एवं केन्द्र पोषित विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि का प्रदेश हित में भरपूर उपयोग करेगी।

2. मेरी सरकार प्रत्येक जनपद में एक नये पर्यटन सर्किट की स्थापना करने, पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन–स्थल पर रज्जू–मार्गों का निर्माण करने, साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार नवयुवकों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने, मौसमी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नया स्वरूप प्रदान करने, पर्यटन को स्वास्थ्य लाभ का साधन बनाये जाने और पर्यटक क्षेत्रों में पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ यूथ हॉस्टिलों की स्थापना करने पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार–

- राज्य में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं के मद्देनजर अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए नये पर्यटक सर्किट का विकास करने,
- राज्य में उपलब्ध अद्भुत प्राकृतिक देन का राज्य के व्यापक हित में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं को बढ़ावा देने,
- राज्य में साहसिक एवं पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने,
- धार्मिक, साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के लिए अधिक संख्या में देशी एवं विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए एकीकृत पर्यटन व्यवस्था लागू करने,
- राज्य में तीर्थाटन विकास को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों में अवस्थापनाओं व अन्य सुविधाओं के लिए सहायता देने,
- प्रख्यात मानसरोवर यात्रा मार्ग के उत्तराखण्ड के भाग में सस्ती व विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध करने पर भी विचार करने, तथा
- दूरस्थ विषम भौगोलिक क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर विचार करेगी।

3. राज्य के विकास हेतु ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार तथा संसाधनों का तीव्र गति से यथोचित दोहन, ऊर्जा क्षेत्र में स्वालम्बन, राज्य हेतु राजस्व प्राप्ति तथा रोज़गार सृजन आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं। मेरी सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी ताकि जल विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण व विद्युत वितरण संस्थाओं को सशक्त व सुदृढ़ बनाते हुए कार्यकुशलता एवं वाणिज्यिक दृष्टि से सुधार लाते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा व संतुष्टि प्राप्त हो सके। जनता को नियमित विद्युत आपूर्ति करने हेतु मेरी सरकार वचनबद्ध है तथा राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु रन आफ द रिवंर में नयी लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करेगी ताकि अल्प समय में विस्थापित किये बिना शीघ्र विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा सके। मेरी सरकार विद्युत वितरण व्यवसाय में हानियों को मानक स्तर पर लाने व उच्चतम एवं गुणवत्ता पूर्ण सेवा सहित उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में नवीनतम एवं आधुनिकतम तकनीक तथा प्रबन्धन का उपयोग करने का प्रयास करेगी।

4. वैकल्पिक ऊर्जा द्वारा दूरस्थ ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर विद्युतीकृत किये जाने का शीघ्रता से प्रयास करते हुए विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु नीति का भी निर्धारण किया जायेगा। मेरी सरकार घराटों के सुधारीकरण की योजना को क्रियान्वित करेगी जिससे भविष्य में स्थानीय कुटीर उद्योग व व्यवसायों को स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हुए विकसित किया जा सके। मेरी सरकार ऊर्जा संरक्षण के उपाय करने हेतु प्रयासरत रहेगी और मुझे आशा है कि मेरी सरकार जल विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण, विद्युत संरक्षण एवं विद्युत व्यवसाय के विनियमन में देश में अन्य राज्यों में स्थापित उच्चतम मानकों व उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य हेतु यदि आवश्यक हुआ तो मेरी सरकार अन्य विकल्पों व व्यवस्था को लागू करने पर भी विचार करेगी।

5. उत्तराखण्ड में मानव संसाधनों के सुनियोजित विकास के लिए शिक्षा को, एक बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया जाना आवश्यक है, इस क्रम में मेरी सरकार राज्य में स्थापित हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों का विस्तार करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर से निदेशालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने, नये खोले गये विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षकों की तैनाती करने के साथ–साथ विद्यालयों में भवन, कक्षा–कक्ष एवं प्रयोगशाला निर्माण करने, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान किन्तु निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने, बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु समस्त असेवित विकास खण्डों में कन्या हाई स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए, कॉमन हाल एवं पृथक शौचालय हेतु सहायता प्रदान करेगी, साथ ही माध्यमिक शिक्षा में कृषि एवं उद्यानी विषयों की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।

6. मेरी सरकार रोजगारपरक विषयों से सम्बद्ध महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार करेगी और–

- शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार, सुदूरवर्ती विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित करने, सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का प्राविधान करने,
- कोई भी शिशु शिक्षा से वंचित न रहे, अतः जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने,
- बालिकाओं को महाविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा, तथा
- प्रदेश में साक्षरता की दर अगले पांच वर्षों में मानकों के अनुरूप 100 प्रतिशत करने पर विचार करेगी।

7. वर्ष 2006–07 में प्रदेश में स्थापित पॉलिटेक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को और अधिक रोजगारोन्मुख बनाने तथा उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए आई.आई.टी. रुड़की के सहयोग से पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा पालिटेक्निकों को नई टेक्नोलॉजी के अधीन लैबों को सुसज्जित करने के लिए मेरी सरकार सार्थक कदम उठायेगी।

8. राज्य गठन के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों के उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अन्तिम आवंटन हेतु लम्बित विवादित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करते हुए मेरी सरकार--

- राज्य कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान हेतु उनके लिए जनपद/राज्य स्तर पर पुरस्कार/सम्मान की योजना,
- विकास कार्यों में रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, तथा
- पारदर्शी स्थानान्तरण नीति बनाने का प्रयास करेगी।

9. मेरी सरकार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने, आयुष विभाग के विंग बनाये जाने, प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्ण दवायें उपलब्ध कराने, दुर्गम क्षेत्रों में मोबाईल

चिकित्सा टीम भेजने तथा महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का प्राथमिकता से प्रयास करेगी।

10. मेरी सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्रियाओं को प्रोत्साहित करके उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के वातावरण को तैयार करेगी।

11. उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के अधीन मेरी सरकार सार्वजनिक निजी सहभागिता से सिडकुल द्वारा सितारगंज में एकीकृत औद्योगिक आस्थान का विकास, सिगड्डी (कोटद्वार) में विकास केन्द्र की स्थापना, देहरादून–सेलाकुई में फार्मासिटी की स्थापना, देहरादून–सहत्रधारा में 60 एकड़ भूमि में आई. टी. पार्क की स्थापना तथा राज्य में औद्योगिक विकास की अधिक सम्भावना वाले क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रयास तथा घोषणा की जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल के अनुसार उद्योग स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

12. मेरी सरकार बुनकरों का बीमा कराने के अतिरिक्त बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी।

13. मेरी सरकार राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भारत सरकार के सहयोग से देहरादून के साथ–साथ कुमायूं क्षेत्र में भी एक चिकित्सालय स्थापित किए जाने का प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार–

- भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण एवं सामाजिक परिवेश के अनुकूल औद्योगिक विकास करने,
- उद्योग विहीन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक आस्थान की स्थापना करने,
- उद्यमियों को प्रोत्साहन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा समस्याओं का निवारण करने, तथा

- पलायन को रोकने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने पर भी दृढ़ता से विचार करेगी।

14. मेरी सरकार रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाओं को संचालित करने के दृष्टिकोण से स्थापित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को और अधिक कारगर बनाते हुए सामुदायिक वानिकी प्रोत्साहन की दिशा में रोजगारपरक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और वनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन मार्गों का उचित रख–रखाव करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा–

- वन अधिनियम, 1980 की समीक्षा इस प्रकार करायी जाएगी जिससे कि विकास योजनायें प्रभावित न हों,
- वनों में ग्राम वासियों के हक–हकूक को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा, और
- वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

15. राज्य औषधीय पादप बोर्ड तथा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को सुदृढ़ करने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की जायेगी एवं रेशम, फूलोत्पादन, चाय एवं जड़ी–बूटियों को बढ़ावा देकर अधिकाधिक संख्या में रोजगार तथा आय वृद्धि का प्रयास किया जायेगा।

16. धान्य फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद राज्य में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार की काफी संभावनायें हैं। जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए ऐसी सभी संभावनाओं के दोहन की आवश्यकता है, ताकि आगामी वर्षों में खाद्यान्न की भारी मांग की पूर्ति की जा सके। कृषि उत्पादन में आगामी पाँच वर्षों में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य किये जाने पर मेरी सरकार विचार करेगी।

17. प्रदेश का अधिकांश भू–भाग पर्वतीय है तथा अधिकांश आबादी कृषि सम्बन्धी कार्यों से जुड़ी है । कृषि जोत सीमान्त आकार के तथा टुकड़ों में बिखरे हैं। इसका अधिकांश कृषि क्षेत्र

असिंचित है जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पाद तीन से चार माह के लिए ही उपलब्ध हो पाता है। पर्वतीय क्षेत्रवासी मुख्य रूप से चारा, ईंधन एवं पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु मेरी सरकार विशेष महत्व देगी।

18. मेरी सरकार गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर Centre of Excellence की मान्यता प्रदान की गयी है, को हाईटैक बनाने की योजना का क्रियान्वयन करने, खेती में लागत को कम करने की नयी तकनीकों पर शोध व उपलब्ध तकनीकों का किसानों में अधिक प्रसार करने, नवीनतम तकनीकों के त्वरित व वृहद् प्रसार हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी बनाने, दूर शिक्षा कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा बदलती मांग के अनुसार कृषि के नये एवं विशिष्ट विषयों में मानव संसाधन विकास करने का प्रयास करेगी साथ ही भरसार को औद्योगिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रयास भी मेरी सरकार करेगी।

19. मेरी सरकार मैदानी क्षेत्रों में उत्पादकता में आई स्थिरता को देखते हुए मृदा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने, पर्वतीय क्षेत्र के लिये उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता के साथ उनके अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु पंचवर्षीय बीज योजना तैयार करने, पारंपरिक कृषि वाले क्षेत्रों में जैविक खेती कार्यक्रम के अंतर्गत गावों का समूह बनाते हुये जैविक खेती कार्यक्रम को विस्तारित करने, कृषि लागत को कम करने तथा श्रम व समय की बचत किये जाने के उद्देश्य से कृषि यन्त्रीकरण पर विशेष रूप से बल दिये जाने, उत्पादकता वृद्धि के लिये जल संरक्षण के अत्यधिक महत्व को देखते हुये 125 नये जल क्षेत्रों का चिन्हांकन किये जाने, अगले पॉच वर्षों के दौरान प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाह केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करते हुए सूचना तकनीक से पूर्णतया सुसज्जित करने, विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास तथा नवीनतम तकनीकों की जानकारी तथा उसके प्रचार--प्रसार हेतु गहन प्रशिक्षण, गोष्ठियों, कृषि निवेश मेलों आदि का आयोजन कराये

जाने तथा फसल उत्पादन का सटीक अनुमान प्राप्त करने हेतु फसल कटाई प्रयोगों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त कृषि उपजों का उचित मूल्य प्रदान करेगी।

20. पेयजल हेतु इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प स्थापना, पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण योजना, कृषक उत्पादक संग्रह केन्द्र निर्माण, रोप–वे निर्माण, स्वयं सहायता समूहों की विभिन्न योजनाओं में मैचिंग ग्रान्ट आदि कई जन कल्याणकारी योजनायें कृषकों के हित में चलाये जाने के लिये मेरी सरकार प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार–

- कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने,
- उद्यान एवं कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने,
- जड़ी–बूटियों की खेती को बढ़ावा देने, एवं
- जैविक खाद एवं जैविक कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रयास करेगी।

21. मेरी सरकार–

- रोजगार में सहायक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने,
- बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने,
- पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने,
- बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार भत्ते का प्रावधान करने, तथा
- सभी जनपद मुख्यालयों में प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क आवासीय व्यवस्था करने पर भी विचार करेगी।

22. खेलों के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश अत्यन्त उपयोगी है। इस हेतु अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत स्टेडियमों के निर्माण तथा मण्डलीय स्तर पर खेल विद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जाएगी। हमारे राज्य के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट

सफलता अर्जित कर प्रदेश एवं देश का नाम गौरवान्वित किया है, को सम्मानित करेगी। मैं इस हेतु इस सदन की ओर से उन खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ।

23. मेरी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। समाज के दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाना एक आवश्यक कार्य है। इसके साथ ही उच्च वर्ग के गरीब लोगों का कल्याण भी आवश्यक है। निर्धन एवं अनाथों के लिए रैन बसेरा का निर्माण किया जाना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। गरीबों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान करने के साथ मेरी सरकार–

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल एवं संचार सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास,
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र का दर्जा प्रदान करना एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विपणन व्यवस्था,
- दलित, पिछड़े एवं जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए समुचित शिक्षा का प्राविधान, और
- दीनदयाल उपाध्याय छात्रवृत्ति योजना, विवेकानन्द प्रोत्साहन योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षा उत्थान योजना के अन्तर्गत बच्चों की पढाई के साथ–साथ उनके सामाजिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगी।

24. उत्तराखण्ड आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वोपरि रही है। मेरी सरकार प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को वन, पर्यावरण–संरक्षण एवं स्व–रोजगार हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्न कार्यक्रम–

- ग्रामीण विषम भौगोलिक क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यथासम्भव निःशुल्क गैस कनेक्शन की व्यवस्था,

- महिलाओं के उपचार हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष व्यवस्था,
- महिलाओं के उत्थान के लिए नई योजनायें व उनमें महिलाओं की भागीदारी, महिला संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने, और
- निर्धन एवं बेसहारा महिलाओं के लिए पेंशन योजना, चलाने पर विचार करेगी।

25. मेरी सरकार–

- सैनिकों (थल, जल, वायु सेना, अर्द्धसैनिक बल व आसाम राईफल्स) एवं पूर्व सैनिकों को उपयुक्त सम्मान,
- राज्य के पूर्व सैनिकों की विकास कार्यों में भागीदारी, उनकी शक्ति, कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन का समाज के हित में उपयोग,
- वीरता पुरस्कार से सम्मानित सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को यथेष्ठ आर्थिक सहायता, और
- पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का प्रयास करेगी।

26. मेरी सरकार प्रदेश में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करेगी, जिसमें–

- उत्तराखण्ड की विलुप्त हो रही कला, संस्कृति, लोक कलाओं एवं वाद्य–यन्त्रों को पुनर्जीवित करने के लिए उनका संरक्षण,
- लोक कला एवं संस्कृति में सराहनीय योगदान करने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किये जाने के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था,
- कलाकारों की प्रतिभा निखारने के लिए आर्थिक सहायता एवं अवसर प्रदान करने, तथा
- सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए कारगर कदम उठाएगी।

27. स्वरोजगार एवं आजीविका के साधन के रूप में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए मेरी सरकार पशुओं की उन्नत नस्लों एवं प्रजातियों का संरक्षण, गुणवत्ता में सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि आदि कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व देगी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के पशुपालकों को सचल वाहनों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी दृढ़ संकल्प है।

28. मेरी सरकार मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये रचनात्मक कार्यवाही करेगी।

29. मत्स्य पालन के समग्र विकास के सर्वेक्षण हेतु नाबार्ड कन्सलटेन्सी, नैब्सकान से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की गई है, उनसे प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर योजनायें प्रस्तावित किये जाने की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जाएगी।

30. मेरी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में दुग्धशालाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहित किये जाने की कार्यवाही के साथ–साथ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में दुग्ध विकास हेतु वन गूजरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान, वन क्षेत्रों में ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, संतुलित पशु आहार, प्राथमिक एवं आपातकालीन पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार चारा बैंक की स्थापना करने के साथ–साथ पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा पशुचिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने का भी प्रयास करेगी।

31. मेरी सरकार का राज्य के प्रत्येक गाँव के प्रत्येक परिवार को वर्ष, 2012 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश गाँव नदियों से काफी ऊपर ऊँचे–ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जिसके कारण पर्वतीय महिलाओं को अपने गाँवों से पीने का पानी लेने के

लिए मीलों दूर चलना पड़ता हैं। इस समस्या के स्थायी हल का प्रयास पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्डपंपों की स्थापना करके तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर एवं पुरानी बन्द पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार करके किया जायेगा। राज्य में परम्परागत प्राकृतिक जल स्रोतों, धारे , नौले, चाल–खाल को संरक्षित किये जाने के लिये ग्रामीणों को जागरूक करके उनका सक्रिय सहयोग लिए जाने पर प्रभावी ढंग से अमल किया जाएगा एवं कृत्रिम जलाशय व झील निर्माण के माध्यम से पेयजल उपलब्ध किये जाने की सम्भावनायें भी तलाश की जायेंगी।

32. राज्य में नगरीय जलोत्सारण योजना का कार्यक्रम अत्यन्त व्यापक रूप से किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु समस्त शहरों का मास्टर प्लान बनाने हेतु एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन मेरी सरकार द्वारा प्राथमिकता पर किया जाएगा।

33. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने हेतु प्रत्येक परिवार में निजी शौचालयों को निर्मित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ किये जाने की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जाएगी।

34. धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में आधारभूत सुविधाओं के व्यापक विस्तार किये जाने की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जाएगी।

35. विश्व स्तर पर वातावरण गर्म होने के कारण मानसून की अनियमितता, खण्डवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से राज्य के प्राकृतिक स्रोतों में निरन्तर गिरावट राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। स्रोतों के जल संवर्धन तथा जल संरक्षण हेतु एक व्यापक कार्ययोजना विकसित किए जाने पर मेरी सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी।

36. गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए मेरी सरकार ठोस उपाय करेगी।

37. राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य में फिल्म बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बोर्ड के क्रियाकलापों को अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाकर राज्य में फिल्मोद्योग को बढ़ावा देने के प्रति मेरी सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

38. आप भिज्ञ हैं कि प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने में सूचना एवं लोक सम्पर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के अतिरिक्त विकास कार्यों के निर्धारण, संचालन एवं क्रियान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मीडिया की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। मीडिया से अधिक प्रभावी संवाद और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं जन–जन तक पहुँचाने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है।

39. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय रही थी, लघु समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का भी सहयोग रहा था। अतः इनमें और अधिक गतिशीलता लाये जाने का प्रयास किया जाएगा। इससे छोटे, मझोले तथा स्थानीय समाचार पत्रों को भी और अधिक बल मिलेगा। पत्रकारों के कल्याण के प्रति भी सरकार पूरी तरह से सजग और प्रयत्नशील रहेगी।

40. सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकार और उसके माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की क्षमता को देखते हुए इसको राज्य सकल उत्पाद के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी की स्थापना भी की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र से व्यापक लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम के अधीन स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (State Wide Area Network), स्टेट डाटा सेन्टर (State Data Centre), कॉमन सर्विस सेन्टर (Common Service Centre) तथा ई–गवर्नेन्स रोड मैप (e-Governance Road Map) और केपेसिटी बिल्डिंग रोड मैप (Capacity Building Road Map) के क्रियान्वयन पर कार्यवाही करते हुए स्वान से ब्लॉक–राज्य स्तर तक Connectivity स्थापित किये जाने पर विचार करेगी। इससे स्टेट डाटा सेन्टर पर राज्य का सभी डाटा एक ही स्थान पर रखा जा सकेगा। ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में विश्व बैंक वित्तपोषित

परियोजना के अधीन सॉफ्टवेयर विकसित एवं कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कान्टेन्ट कलेक्शन फॉर बद्री केदार/गंगोत्री, यमनोत्री/हेमकुण्ड साहिब डेस्टीनेशन, समाज कल्याण, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के पोर्टल हेतु सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का विकास एवं कार्यान्वयन, कृषि पोर्टल का विकास एवं कार्यान्वयन, लोक निर्माण हेतु परियोजना प्रबन्धन अनुप्रयोग एवं सूचना प्रणाली का विकास एवं नियोजन, कक्षा 9 से 12 तक के लिए विज्ञान और गणित में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बद्ध पाठ्यक्रम का विकास, उत्तराखण्ड के लिये मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली का विकास एवं मल्टी परपज हाऊस होल्ड सर्वे, सिटीजन डाटा वाल्ट, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रेक्चर विकसित किये जाने पर कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जायेगी। उत्तराखण्ड जल संस्थान, खनन, व्यापार कर, कोषागार एवं उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार–

- सूचनाओं, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को पारदर्शी बनाने हेतु विभागों में कम्प्यूटरीकरण करने,
- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आई0टी0 पार्क एवं थीम पार्कों का सृजन करने, तथा
- सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आउटसोर्सिंग का काम करने वाली कम्पनियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी।

41. उत्तराखण्ड की विशिष्ट व दुर्लभ प्राकृतिक जैव सम्पदा पर आधारित सम्भाव्य जैव प्रौद्योगिकी संबंधित उद्योग यथा व्यावसायिक पादप टिशू कल्चर, फरमैन्टेड खाद्य व पेय, जैविक कीटनाशक व खाद, सुगंध पौधों व हर्बल जड़ी–बूटियों का प्रसंस्करण व व्यावसायिक उपयोग, उन्नत प्रजातियों के बीजों का उत्पादन, पादप रसायन व पुष्टाहार उत्पादन, बायोइन्फार्मेटिक्स व डायग्नौस्टिक तथा पशु पुनरोत्पादन व स्वास्थ्य सहायक उद्योग तथा माइक्रोबियल व मत्स्य सम्पदा आदि के व्यावसायिक उपयोग की सम्भावनायें उत्तराखण्ड हेतु आंकी गयी हैं । जैव प्रौद्योगिकी अवस्थापनाओं एवं औद्योगिक आधार पर हाल की अवधि में हुए विकास से जैविक उत्पादों के विपणन एवं जैव औषधियों, कृषि, खाद्य पदार्थों एवं पुष्टाहार में व्यावसायिक सम्भावनाओं का काफी विस्तार हुआ है। विगत कुछ वर्षों में देश में निजी क्षेत्र में कई जैव प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयां स्थापित हुई हैं जिनमें कृषि व्यवसायिक, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा मूल्यवान रसायन एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य तेलों हेतु एजांइम

तकनीकी, बागवानी एवं अलंकरण पौधों, वानिकी प्रजातियों, औषधीय एवं सगंध पादपों के उत्पाद, टिश्यू कल्चर, जैविक कीटनाशक, पौधों के विकास में सहायक तत्व, पशुचारा हेतु जैविक प्रसंस्करण एवं वर्णशंकर बीज प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में मेरी सरकार शीघ्रता से कार्यवाही सम्पादित करेगी एवं प्रदेश के समग्र विकास हेतु प्रदेश स्थित विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

42. पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना की संरचना स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के उद्देश्य से की जायेगी। मेरी सरकार बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फंड, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण पर त्वरित गति से इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करेगी।

43. मेरी सरकार सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी ताकि स्वच्छ प्रशासन दिया जा सके।

44. मेरी सरकार राजस्व प्रशासन के विभिन्न अंगों यथा तहसील,जनपद तथा मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन को प्रभावी बनाने, राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विविध देयों की वसूली के लिए कारगर व्यवस्था करने, भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने, स्वैच्छिक चकबन्दी करने आदि पर कारगर कदम उठाएगी।

45. मेरी सरकार आपदा प्रबन्धन नीति को प्रभावी बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित करेगी।

46. मेरी सरकार चमोली–गोपेश्वर महायोजना, गोचर महायोजना, ऋषिकेश महायोजना, काशीपुर महायोजना, रुद्रपुर महायोजना के साथ–साथ हल्द्वानी–काठगोदाम महायोजना, हरिद्वार महायोजना तथा देहरादून महायोजना पर प्राथमिकता से विचार करेगी।

47. सुसंगठित, सुनियोजित प्रकार से उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं, सुलभ दरों में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की जायेगी।

48. मेरी सरकार नगरीय क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों के समेकित विकास, कुम्भ मेला नियंत्रण व्यवस्था के साथ–साथ वाल्मिकी अम्बेडकर आवास

योजनाओं पर आवश्यकतानुरूप सुदृढ़ नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनूअल मिशन, स्थानीय निकायों को कम्प्यूटरीकृत करने एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों को सुविधायें/सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाएगा।

49. राज्य के सुदूर क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने तथा गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण पर मेरी सरकार बल देगी। राज्य के दोनों मण्डलों को जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायी जाएगी।

50. आधुनिक युग में किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी।

51. मेरी सरकार द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के हवाई यात्राओं तथा राज्य में पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विमानन सम्बन्धी सेवाएं संचालित कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी।

52. राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। वर्तमान में केन्द्र पोषित योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। क्षतिग्रस्त नहरों के पुनरोद्धार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा जमरानी बांध आदि लम्बित परियोजनाओं की समीक्षा कर कार्यान्वयन की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

53. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कृषक–वैज्ञानिक–प्रसार कार्यकर्ताओं की इन्टरफेस गोष्ठियां आयोजित करने एवं चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं राजकीय हित में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया जायेगा।

54. मेरी सरकार ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चीनी, मिट्टीतेल की आपूर्ति में आवश्यकतानुरूप सुधार करने का प्रयास करने के साथ ही खाद्यान्न के संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गोदामों का निर्माण/संवर्धन करने का प्रयास करेगी। मंहगाई को रोकने के लिए खाद्य वितरण प्रणाली सुदृढ़ की जायेगी एवं शहरी क्षेत्र में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो बी0पी0एल0 परिवार इस सुविधा से वंचित रह गये हैं, उनके सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया जायेगा।

55. मेरी सरकार भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप प्रदेश में मैट्रिक बाटों, मापों तथा तौलने एवं मापने के यंत्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवं सत्यापन तथा मुद्रांकन का कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये दृढ़संकल्प है।

56. मेरी सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बढ़ती कीमतों को नियमित करने हेतु जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का पूर्ण प्रयास करेगी।

57. प्रदेश के सभी जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत कार्यरत हैं। निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के कार्य के साथ–साथ समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनके सुदृढ़ीकरण पर मेरी सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी।

58. प्रदेश की ग्राम पंचायतें तथा जिला पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, मार्ग व्यवस्था एवं सफाई आदि कार्य सम्पादित करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करे, इस उद्देश्य से मेरी सरकार पहल करेगी।

59. मेरी सरकार राजकीय भवनों, विद्यालयों, जनपद मुख्यालयों, आपदा प्रबन्धन के कार्य तथा ग्राम्य विकास की योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित करेगी।

60. केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा, ग्रामीण रोजगार को सम्पूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा, ग्रामीण आवास को इन्दिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना द्वारा तथा ग्रामीण संयोजिता को प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सक्रियतापूर्वक क्रियान्वित करते हुए विपणन केंद्रों एवं शिल्प केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किये जाने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किया जायेगा।

61. मेरी सरकार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक समेकित योजना बनायेगी।

62. मेरी सरकार ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना तथा नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार, नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना का वृहद रूप से संचालन करने का प्रयास करेगी।

63. उत्तराखण्ड में स्वरोजगार की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ–साथ प्रदेश में राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन, सार्वभौम रोजगार योजना और लघु वित्त संस्थान कार्यक्रम संचालित हैं। बडी संख्या में गठित स्वरोजगार समूहों को सूक्ष्म वित्त एवं विभिन्न प्रकार की सेवायें मुहैया कराकर स्वरोजगार व्यवसाय को स्थायी, सुदृढ़ स्वरूप देने के लिए मेरी सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी।

64. मानव सामाजिक क्षमता विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जाति परिवारों के चयनित सदस्यों (मुख्यतः महिलाओं) का क्षमता विकास कर उनके माध्यम से सामाजिक सेवायें प्रदान करते हुए ग्रामीण बसावटों का नियोजन एवं विकास के लिए मेरी सरकार तत्परता से कार्य करेगी।

65. मेरी सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं की भागीदारी सहकारी समितियों में सुनिश्चित करने हेतु उनके बचत समूहों का गठन करने, राज्य में सहकारिताओं को स्वायत्तता प्रदान करने, सहकारी समितियों में चरणबद्ध रूप से मिनी बैंक स्थापित करने, अनुसूचित जाति बाहुल्य सदस्यता वाली समितियों को गोदाम निर्माण कर उनके भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने, राज्य के समस्त जिला बैंकों को पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किए जाने, 70 पैक्स में सहकारी कृषक सूचना केन्द्र इफ्को के माध्यम से स्थापित करने, अरबन कोऑपरेटिव बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु टास्क फोर्स का गठन करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

66. अपराध विहीन राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से मेरी सरकार पुलिस बल में मानव संसाधन संवर्द्धन, पुलिस विभाग से सम्बन्धित अवस्थापना मदों यथा–आवास एवं पुलिस कार्यालयों का निर्माण, वाहन, विवेचना, सुरक्षा उपकरण तथा अस्त्रों एवं शस्त्रों के क्रय हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर पुलिस बल के गुणात्मक सुधार एवं नैतिक, चारित्रिक संवर्द्धन में अपेक्षानुरूप संतोषजनक मापदण्ड प्राप्त करेगी। पुलिस संचार व्यवस्थाओं के गुणात्मक प्रसार तथा संचार नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, अभिसूचना संकलन, आपराधिक मामलों की समुचित विवेचना एवं न्यायालयों में अभियोजन के क्षेत्रों में अपेक्षित मापदण्ड प्राप्त करने की कार्यवाही के साथ होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा जैसे स्वयं सेवकों को प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक जनपद में एक कारागार की स्थापना किए जाने का प्रयास तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को सुदृढ़ कर विचाराधीन एवं सिद्धदोष बन्दियों के हितार्थ मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बन्दी सुधार कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास मेरी सरकार करेगी।

67. मेरी सरकार राज्य की जनता को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु पूर्ण प्रयास करेगी।

68. नवगठित विधानसभा के सदस्यगण प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु जनाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों के समग्र नेतृत्व में हिमालय की चोटियों से यमुना–टोंस तथा महाकाली के बीच स्थित यह प्रदेश, जिसको गंगा, यमुना तथा शारदा नदियां सुशोभित करती हैं, और जहां जौनसार, बावर, नीती, माणा, जोहार, दार्मा आदि अनेक विशेष क्षेत्र स्थित हैं, विकास की नीति निर्धारण, नियमन और क्रियान्वयन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। राज्य की द्वितीय विधानसभा के इस प्रथम सत्र में मेरी सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी नीतिगत दिशाओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो रही 11वीं पंचवर्षीय योजना की संरचना शीघ्र कर ली जायेगी। राज्य सरकार का यह विश्वास है कि उत्तराखण्ड की महान जनता इस योजना के अनुसार चहुँमुखी विकास के लाभ प्राप्त कर सकेगी और यह पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी में विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

69. मा0 सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु लेखानुदान का पारण करेंगे। इस कार्य में मुझे आपके पूर्ण सहयोग की आकांक्षा है। विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग, सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में आपके नेतृत्व और सहयोग की अपेक्षा है। मैं आपको इन सद्प्रयासों के लिये साधुवाद प्रदान करते हुए सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

जयहिन्द।